न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 112/2016

सन्दीप कौर पत्नी गुरलालसिंह पुत्री गुरनामसिंह पुत्र हुकमसिंह उर्फ हुश्नचन्द पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. हुकमसिंह पुत्र उर्फ हुश्नचन्द पुत्र विचित्रसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला ——मृतक

   1/1 जसपालसिंह
   1/2 लालसिंह
   1/3 निरंजनसिंह
   1/4 गुरनामसिंह
   1/5 अंग्रेजकौर
   1/6 गुरदेवकौर
   1/7 सर्वजीतकौर
   1/8 एको
   1/9 छिन्दो

   } पिसरान हुकमसिंह उर्फ हुश्नचन्द पुत्र विचित्रसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार रायसिंहनगर।
3. हरविन्द्रसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी लिखमेवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर । ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

दिनांक 19.08.2016

23/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितः–

श्री मंगतूराम नायक अभिभाषक अपीलांट

श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थी व रेस्पो. संख्या 3 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 88 के तहत पेश कर कथन कि वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 28 पी.एस. के प.नं. 227/289 मु.नं. 5 की 2.0405है0, प.नं. 227/90 मु. नं. 10 की 6.200है0, प.नं. 228/290 मु.नं. 11 की 2.530है0, प.नं. 229/290 मु.नं. 12 की 1.644है0 कुल 12.779है0 भूमि सोहनलाल आदि के साथ संयुक्त खाता में है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में 3.162है0 नहरी व प.नं. 228/292 मु.नं. 31 के 1.897है0 भूमि में सोहनलाल आदि के साथ 0.474है0 भूमि धारण करते हैं। इस प्रकार दोनों खातों में प्रतिवादी सं. 1 की 3.636है0 धारण करते हैं जो पैतृक सम्पत्ति है। उक्त भूमि में वादीगण का हिस्सा बनता है। अतः वाद स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 10 ने जबाब दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित चार वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 19.08.2016 को वाद खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है। अधी. न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया। वादीगण ने साक्ष्य से अपने वाद को साबित

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कर दिया था फिर भी वाद खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के वादीगण काश्तकार नहीं है। विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है, पैतृक सम्पत्ति नहीं है। अधी. न्यायालय ने वाद को खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 19.08.2016 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट संदीप कौर का घोषणात्मक दावा अपने पिता की भूमि में घोषित करवाने का खारिज किया गया है जो पुश्तैनी आराजी में अपीलांट के हक बनने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी. न्यायालय ने दावा– जबाब दावा के आधार पर तीन तनकीयात कायम की जिसमें मुख्य तनकी सं. 2 है कि आया विवादित भूमि पैतृक है या स्वअर्जित जो अधी. न्यायालय द्वारा साक्ष्य संग्रहण कर यह विनिश्चय किया कि हुक्म सिंह उर्फ हुश्नचन्द पुत्र विचित्र सिंह की विवादित आराजी स्वअर्जित आराजी है। दौराने वाद Key Person हुक्मसिंह उर्फ हुश्नचन्द की मृत्यु होना रिकार्ड पर है उसकी कृषि भूमि राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 40 के प्रावधानानुसार devolve योग्य है जिसकी पहली शर्त है कि मृतक द्वारा अपनी भूमि की अगर कोई वसीयत नहीं की है तो उसकी कृषि भूमि ' In accordance with personal law devolve होगी।

दौराने बहस प्रा.पत्र अन्तर्गत सिविल प्रकिया संहिता आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 पेश किया जिसके दो बिन्दुओं का विवरण है कि रेस्पों. गुरनामसिंह के पिता हुक्मसिंह उर्फ हुश्नसिंह जो अपने चारों पुत्रों के नाम से रजिस्टर्ड वसीयत जिसके जरिये चारों लडकों निरंजनसिंह, गुरनामसिंह, सतपालसिंह व लालसिंह

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पिसरान हुक्मसिंह उर्फ हुश्नसिंह द्वारा वसीयत दिनांक 12.11.08 को चक 28 पी. एस. का मु.नं. 5–10–11–12 की 12.779है0 नहरी भूमि में से 6.325है0 भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा यानि 3.162है0 नहरी भूमि तथा खाता सं. 66 के मु.नं. 31 के 1.897है0 नहरी में 0.949है0 नहरी में से अपना समस्त 1/2 हिस्सा यानि 0.475है0 नहरी इस प्रकार कुल 3.637है0 नहरी भूमि अपने चारों पुत्रों, निरंजनसिंह, जशपालसिंह, गुरनामसिंह , लालसिंह पि. हुक्मसिंह उर्फ हुश्नसिंह ने वसीयत के जरिये हस्तांतरित कर दी। वसीयत के आधार पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.07.2016 द्वारा हल्का पटवारी को अमलदरामद करने का आदेश दिया गया है। यह कि उक्त वसीयत के जरिये इन्तकाल दर्ज करने के आदेश की प्रतिलिपि अब मुझे प्राप्त हुई है। अव बिना किसी देरी के श्रीमान जी के न्यायालय में तहसीलदार रायसिंहनगर के आदेश की छाया प्रति संलग्न कर प्रा.पत्र पेश की जा रही है जो साक्ष्य में ग्रहण की जावे।

प्रा.पत्र की प्रति वकील रेस्पों. को दी गई जिसका प्रतिरोध प्राप्त नहीं होने पर प्रा.पत्र स्वीकार किया गया। सन्दर्भ दस्तावेजी साक्ष्य आदेश दिनांक 27.07.2017 व पत्र दिनांक 28.07.2016 को साक्ष्य में ग्रहण किया जाता है। यह तथ्य अधी. न्यायालय में discuss योग्य है। अतः हुक्मसिंह उर्फ हुश्नचन्द की भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि उसकी वसीयत devolve योग्य है के विचार अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)